# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 23/08 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2008/00043

उनवान

1. किरोडीलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. मुकुटलाल पुत्र किरोडीलाल जाति वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ज्ञान चन्द पुत्र कजौडीलाल जाति जैन निवासी हलैना तहसील वैर (मृतक)
   1/1. श्रीमती अंगूरी देवी आयु 65 वर्ष निधवा ज्ञानचन्द जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/2. श्रीमती सरोज जैन आयु 47 वर्ष पुत्री ज्ञानचन्द निवासी ग्राम हलैना हाल श्री महावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली।
   1/3. ताराचन्द जैन आयु 45 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/4. शीतल चंद जैन आयु 43 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/5. अजीत कुमार जैन आयु 41 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/6. समुत चन्द जैन आयु 36 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/7. निर्मल कुमार जैन आयु 32 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
   1/8. विमल कुमार जैन आयु 28 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. सोहललाल पुत्र गिर्राजप्रसाद जाति वैश्य निवासी हलैना तहसील वैर।
3. बाबू पुत्र कारे जाति माली निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
4. रामजीलाल पुत्र हरजी माली निवासी गढी साद तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
   4/1. वीरी सिंह } पुत्रान रामजीलाल जाति माली निवासी ग्राम गढीसाद तह0 वैर, भरतपुर।
   4/2. विजय सिंह }

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. मु0 केशन्ती पत्नि रामखिलाडी जाति माली निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. तहसीलदार तहसील वैर जिला भरतपुर।
7. मुकुट
8. प्रकाशचन्द } पिस0 जगन्नाथ प्रसाद जाति वैश्य नि0 ग्राम हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।
9. मंगल खॉ पुत्र बुद्धी खॉ जाति सक्का निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 14.02.2008 उनवानी किरोडीलाल बनाम ज्ञानचन्द मु0न0 252/99

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुनील गर्ग उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.06.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 14.02.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम हलैना में वादी/अपीलाण्ट 1/3 भाग का व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में मौके व कब्जे के विपरीत वादी/अपीलाण्ट को 2/9 हिस्से पर गलत दर्ज कर रखा है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुतोष अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं एवं ना ही अपीलाण्ट की प्रार्थना अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गयी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्य बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की आपत्ति को अनदेखा करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1062 रकवा 4 बीघा 05 विस्वा में भूमि नहीं दी गयी। बल्कि सभी खसरा नम्बरान में 2/9 हिस्सा दे दिया। पटवारी हल्का द्वारा भी उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जो गलत हैं। अपीलाण्ट द्वारा दावे में चाहे गये अनुतोष को ना तो घोषित किया एवं ना ही खारिज किया। पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उनसे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1062 पर कब्जा काश्त है। निर्णय भी तनकीवार नहीं दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दावे में चाहे गये अनुतोष अनुसार अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 1062 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट का दावा स्वत्व घोषणा का था। जिसमें प्रतिवादीगण/रैस्पो0 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 06 व 08 ने वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में इकबाल दावा प्रस्तुत करते हुये खसरा नम्बर 1062 पर वादी/अपीलाण्ट का कब्जा काश्त स्वीकार किया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया है। नियमानुसार प्रकरण में एक बार तनकीयात कायम होने पर निर्णय तनकीवार किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नहीं की गयी है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अति सूक्ष्म है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र यह अंकित किया है कि "प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो पाया कि वर्तमान में उक्त तीनो वादो में विवादित आराजी किता 9 रकवा 18 बीघा 13 विस्वा है। जिस पर अब तक हुए बेचानो को सम्मलित कर दावा वादीगण निम्नानुसार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है" अधीनस्थ न्यायालय ने कौनसे दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वादी/अपीलाण्ट अपने दावे को किस प्रकार साबित नहीं कर सके आदि का कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया। इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट के द्वारा चाहे गये अनुतोष को ना तो घोषित ही किया एवं ना ही खारिज किया एवं दावा सीधे प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, बिना घोषणा के दावा किस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि या तो वह वादी/अपीलाण्ट द्वारा चाही गयी घोषणा को स्वीकार करते अथवा निरस्त करते एवं तत्पश्चात् विवादित आराज़ी का सभी पक्षाकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करते। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रक्रियात्मक चूक की है। उपरोक्त विवचेनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2008 आपस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी सूचित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 22.07.2024

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को भी सूचित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 22.07.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर